



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273729  
CG-DL-E-23062026-273729

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3200]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3200]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3333(अ).— केन्द्र सरकार, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 22 जून, 2026 को उस तिथि के रूप में तय करती है, जिस दिन उक्त अधिनियम के वे उपबंध, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 31 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबद्ध हैं और जो वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) से संबंधित हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. एसटीसीजीआई-9/1/3/2025-एसटीसीजीआई]

मनीषा चटर्जी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF TEXTILES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2026

**S.O. 3333(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints 22nd June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 31 and the entries relating there to in the Schedule to the said Act, relating to the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), shall come into force.

[F. No. STCGI-9/1/3/2025-STCGI]

MANISHA CHATTERJEE, Jt. Secy.